रजिस्टर्ड/सील्ड

उत्तर प्रदेश शासन

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2

संख्या-94/2026/1662/22-2-2024-17(359)/2023

लखनऊ: दिनांक: 28 जनवरी, 2026

आदेश

उत्तर प्रदेश के श्री राज्यपाल, दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (एक्ट संख्या-2, 1974) की धारा-432 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय कारागार, वाराणसी में निरूद्ध सिद्धदोष बंदी कुबेर मिश्र पुत्र (बन्दी संख्या-1298/2010) स्व0 रामनाथ मिश्र उर्फ रमई, निवासी- ग्राम-रामपुर ईशोपुर, थाना-खानपुर, जनपद-गाजीपुर जिसे सत्र परीक्षण संख्या-259/2007 में भा0द0वि0 की धारा-363, 366, 376 के अन्तर्गत मा0 अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, फास्ट ट्रैक संख्या-02, गाजीपुर के आदेश दिनांक 18.05.2010 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया, बंदी द्वारा दिनांक 07.12.2023 तक 16 वर्ष 06 माह 28 दिन की अपरिहार तथा 21 वर्ष 27 दिन की भोगी गयी सजा एवं संतोषजनक जेल आचरण को दृष्टिगत रखते हुए बन्दी के नामिनल रोल पर सम्यक् विचारोपरान्त उनकी शेष सजा का परिहार करते हैं तथा यह आदेश देते हैं कि उक्त बन्दी को जिला मजिस्ट्रेट, गाजीपुर के संतोषानुसार दो जमानतें तथा उतनी ही धनराशि का एक निजी मुचलका प्रस्तुत करने पर बन्दी को कारागार से मुक्त कर दिया जाय।

कमलेश कुमार

उप सचिव।

संख्या-94/2026/1662(1)/22-2-2024 तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ0प्र0 लखनऊ।

2- जिला मजिस्ट्रेट, गाजीपुर।

3- पुलिस अधीक्षक, गाजीपुर।

4- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, वाराणसी।

5- निजी सचिव, मा0 मंत्री/मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।

6- कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3, उत्तर प्रदेश शासन।

8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

ममता श्रीवास्तव

अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।